

## FAQs

Question1. ये योजना क्या हैं?

Answer- यह DDA द्वारा मान्यता प्राप्त प्री-लीजड कर्मशियल स्पेस योजना है, जिसके अंतर्गत आप दिल्ली मॉल कांप्लेक्स में एक दुकान अविभाजित हिस्से में खरीद सकते हैं एक हिस्से का न्यूनतम माप 97 वर्ग फुट एवं 150 वर्ग फुट है इस अविभाजित हिस्से को बाकी सह-अवेदकों के समेत एलएलपी/पाटर्नरिशप/पाइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर रजिस्टर अथवा पंजीकृत किया जायेगा, जिसे करने के बाद एक प्रोफेशनल एजेंसी दुकान को लीज पर चढ़ा के आपके हिस्से का अनुपातिक किराया आप तक पहुंचाएगी। आने वाले समय में दिल्ली मॉल को, भारत सरकार की नीति के तहत सेबी की एसएम-रीट्स में पंजीकृत किया जा सकता है जिसके होने के बाद आप अपनी सम्पत्ति के समक्ष शेयर को सेबी के अधिकृत वेबसाइट पर खरीद या बेच पाएंगे अथवा एक नियमित किराये और कर मुक्त आय का फ़ायदा उठाएँगे।

Question 2 – इस योजना का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है?

Answer:

- आपको <https://delhimallcomplex.com/> पर जाकर अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेगी और साथ ही साथ 31,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा चुकाने होंगे।
- अगर आपका नाम हमारे ड्रा के द्वारा चुने हुए आवेदकों में आ जाता है तो इसकी सूचना आपको 13 अक्टूबर से अगले 2 दिन के अन्दर दे दी जाएगी।
- अगले 45 दिन में आपका एटीएस रजिस्टर करवा के अपनी अगली किंश चुकानी होगी। आगे की किंशों का भुगतान अपनी भुगतान योजना के अनुसार करना होगा।
- दिल्ली मॉल के निम्नांक के पूरे हो जाने पर कन्वेयंस डीड आपकी LLP/Partnership/Pvt Ltd Company के नाम पर करा दी जाएगी। जिसके बाद आप अपनी किराये की आय का लाभ उठा सकते हैं।

Question3. प्रोजेक्ट की क्या लोकेशन है?

Ans. - ये कॉम्प्लेक्स पटेल रोड, पटेल नगर, सेंट्रल वेस्ट दिल्ली, कीर्ति नगर और शादीपुर मेट्रो स्टेशन के बीच में DDA और Raheja के PPP मॉडल के अन्तर्गत बनाया जा रहा है।

Question 4– पोसेशन (Possession) डेट क्या है?

Ans- अगस्त 2025

Question 5– डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस क्या है?

Step 1. आपको 31,000/- की राशि का भुगतान (payment) करके हमारी वेबसाइट पर रिजस्ट्रेशन करना होगा, हमारी वेबसाइट है- [www.delhimallcomplex.com](http://www.delhimallcomplex.com)

Step 2. हमारी तरफ से एलोकेशन ( कम्प्यूटर के द्वारा ) किया जाएगा जिसमें सभी सफल आवेदकों ( applicants ) को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि आपका नाम ड्रॉ में नहीं है, तो आपका रिजस्ट्रेशन शुल्क 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से वापस कर दिया जाएगा (refundable)। और यदि आपका नाम ड्रॉ में निकल जाता है तो आपको अगले 7 दिनों में RTGS / NEFT / IMPS के माध्यम से 10% का भुगतान करना होगा, साथ ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा और KYC कागजात

प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी करनी होगी। हमारे साइट कायार्लय में ऑफलाइन माध्यम से हमारी टीम की मदद से भी आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

Step 3. आपके पेपर वर्क और 10% पेमेंट टाइमली पूरा होने के बाद आपको अगले 45 दिनों में अगली किश्त का पेमेंट चेक या ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से पूरी करनी होगी साथ ही साथ प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट ट्रू सेल के पेपर भी सबमिट करने होंगे, ये दोनों चीजें हमारे हेड ऑफिस में सबमिट करने होंगे।

Step 4 आपकी फाइनल रजिस्ट्री प्रॉपर्टी के पोसेशन के साथ ही साथ की जायेगी

Question 6 – प्रत्येक फ्लोर पर साइज क्या हैं?

Answer – इसमें ग्राउंड फ्लोर का साइज 97, 150 वर्ग फुट है। फर्स्ट फ्लोर का साइज 97, 150 वर्ग फुट है, सेकेंड फ्लोर का साइज 97, 150 वर्ग फुट है, जो कि रिटेल शॉप्स हैं, तीसरे फ्लोर पर फूड कोर्ट है जिसका साइज 97 वर्ग फुट और 150 वर्ग फुट है।

Question 7 – रिजस्ट्रेशन और एलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है?

Answer: हमारा रिजस्ट्रेशन ऑनलाइन है और आपने जो विज्ञापन देखा है, उसके अनसार क्यू आर कोड और वेबसाइट लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप रिजस्ट्रेशन कर सकते हैं।

Question 8 – आप परिणाम कब घोषित करने जा रहे हैं?

Answer – 13 अक्टूबर, 2024

Question 9 – ये प्रोजेक्ट रहेजा बना रहा है या DDA बना रहा है?

Answer: दिल्ली मॉल कॉम्प्लेक्स कानिर्माण रहेजा डेवेलपर्स के द्वारा किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट DDA के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया जा रहा है।

Question 10- यदि एलॉटमेंट नहीं हुआ तो रिफंड की प्रक्रिया क्या है और रिफंड का समय क्या है?

Answer: एलॉटमेंट डेट के 30 दिन के भीतर पैसा वापस कर दिया जाएगा जिस खाते से आपने भुगतान किया है।

Question 11–कंस्ट्रक्शन का स्टेज क्या है?

Answer: 60 % से ज्यादा काम पूरा हो चुका है।

Question 12- : क्या हम ऑफलाइन रिजस्ट्रेशन कर सकते हैं?

Answer - नहीं।

Question 13- एलॉटमेंट के बाद पेमेंट प्लान क्या है?

Answer - इससे सम्बंधित सूचना विज्ञापन एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Question 14 – क्या हम रिजस्ट्रेशन के बाद फ्लोर बदल सकते हैं?

Answer - हां, यह उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Question 15 - क्या मैं इस 97 sqft में अपनी दुकान खोल पाऊंगा ?

Answer – नहीं, लेकिन आपके अविभाजित स्पेस को कंपनी अच्छे शॉपिंग मॉल ब्रांड्स (brands) को किराये पर देगी। यह मैनेजमेंट इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट (IPC) और फैसिलिटी मैनेजर द्वारा किया जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात बात यह है कि आपको अपनी दुकान के आकार के अनुसार हर महीने अपना किराया आपके बैंक खाते में मिलेगा।

Question 16: क्या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रॉपर्टी लोन लिया जा सकता है?

Answer : इस प्रकार सुविधा कर्मशियल प्रॉपर्टीज में उपलब्ध नहीं है।

Question 17– क्या इसमें सुनिश्चित (Assured) रिटर्न हैं ?

Answer - नहीं।

Question 18 – यदि मेरा नाम एलॉटमेंट रिजल्ट में दिखाई देता है, लेकिन मैं अपना रिजस्ट्रेशन वापस लेना चाहता हूं, तो क्या मेरा रिजस्ट्रेशन अमाउंट वापस कर दिया जायेगा ?

Answer - हां, अगर आप रिजल्ट से पहले कैंसलेशन मैल भेजते हैं, तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट में आपका नाम सफलतापूर्वक घोषित किये जाने के बाद आप कैंसिल करते हैं तो रिफंड नहीं किया जाएगा।

Question 19. PPP मॉडल क्या है?

Answer : ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है।

Question 20 :- क्या मैं इसे ब्रोकर या एजेंट के माध्यम से खरीद सकता हूँ?

Answer: आप सिर्फ प्रोजेक्ट के ऑथराइज्ड एजेंट के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से ही गुजरना होगा। यह कंपनी की ओर से एक फिक्स्ड प्राइस शॉप है। और अगर कोई आपको किसी प्रकार का डिस्काउंट ऑफर दे तो कृपया हमें [info@delhimallcomplex.com](mailto:info@delhimallcomplex.com) पर सूचित करें।

अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद!

अधिक जानकारी के लिए कृपया डायल करें

+91- 8050461122 +91-8050471122